प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.**

सत्यमेव जयते

PM/VI/2014-15/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 100% from 01.01.2014.
Ref: 1. Govt of Uttar Pradesh No PC/1-350/10-2014-42(M)/2008 dt 19.05.2014.
2. Accountant General (A&E)II Uttar Pradesh SSA No PM/DR/408 dt 04.06.2014

***

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

VSRENC Prasad

~~Sr.~~ Accounts Officer

Copy to

The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

~~Sr.~~ Accounts Officer

1189157S8
XQ

~~By Speed Post~~

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/408 **Dated: 04/06/2014**

LID-6650,2415,3726,3729

To,

Accountant General (A&E), Andhra Pradesh
Saifabad..................
...............Hyderabad 500004

Subject:- (1) Grant of Dearness Relief @ 100% w.e.f 01/01/2014.

(2) Grant of Dearness Relief unrevised pension/F. pension @ 183% w.e.f 01/07/2013.

I am forwarding herewith copies of office memos. for necessary action please:-

(1) Office Memo. No. वे०आ०-1-350/10-2014-42(M)/2008 dt. 17/04/2014 of DR 100% w.e.f 01/01/2014 reg. grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners.

(2) Office Memo. No.S.3-GI-26/10/2013-301/2000T.C dt. 30/12/2013 of DR 183% w.e.f 01/07/2013 reg. grant of Dearness Relief to the Pensioners/ Family Pensioners-unrevised rate effective from 01/07/2013.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

S.Srivastava

Sr. Accounts Officer

PH

संख्या-वे0आ0-1-350 /दस-2014-42(एम)/2008

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ ।

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।

(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वॉं तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 17, अप्रैल, 2014

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2014 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश सं0-वे0आ0-1-1050/दस-2013-42(एम)/08, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन फा0 संख्या-1/1/2014-ई-II(बी), दिनांक 27 मार्च, 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1050/दस-2013-42(एम)/08, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है -

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2014	मूल वेतन का 100 प्रतिशत

O/o A.G. A&E II U.P.
Unique No. 6650
Co-ordination
Section

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/ वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन के परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही कियां जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2014 से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/ कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से (माह अप्रैल, 2014 का भुगतान दिनांक 01 मई, 2014 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8- नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगा।

9- महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए ।

10- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2014 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

11- यह आदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-2137/सी0ई0ओ0-1, दिनांक 16 अप्रैल, 2014 द्वारा सूचित भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वे0आ0-1-350(1)/दस-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–जी0आई0–26 / दस–2013–301 / 2000 टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक : 30 दिसम्बर, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के आधार पर अपुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–629 / दस–2013–301 / 2000 टी0सी0, दिनाँक 10 जून, 2013 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महँगाई राहत दिनाँक 01–01–2013 से 166 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के कम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनाँक 01 जुलाई, 2013 से 183 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2– यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3– क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4– अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त।

No. 1/1/2014-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated: 27th March, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2014.**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1-8/2013-E-II (B) dated 25th September, 2013 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 90% to 100% with effect from 1st January, 2014.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2014.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

(A. Bhattacharya)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 4 सा० वित्त—17—4—2014—(87)—2,500 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त् (वेतन आयोग) अनुभाग-1

संख्या-वे0आ0-1-391/दस-14-28(एम)/2007

लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2014

इस अनुभाग के पत्र संख्या-वे0आ0-1-994/दस-14-28(एम)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-फा0सं0-1/1/2014-ई-II(बी) दिनांक 27 मार्च, 2014 की (हिन्दी/अंग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2014 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

2- यह आदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-2129/सी0ई0ओ0-1, दिनांक 16 अप्रैल, 2014 द्वारा सूचित भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अजय अग्रवाल)

सचिव।

संख्या-वे0आ0-1-391(1)/दस-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।

3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

आज्ञा से,

(अजय अग्रवाल)

सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–1302/सैंतीस–2–2013–3(2)/12
लखनऊ :: दिनांक– 21 अप्रैल, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप उ0प्र0पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उ0प्र0पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों/कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरणों की दरों को निम्नवत संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जायेगा।

2– प्रभावी होने की तिथिः–

2–(1)–इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्थायें पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर लागू होगीं, जो दिनांक 01 जनवरी, .2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा मृत हुए हों और पेंशन की अनुमन्यता विषयक पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1857/सैंतीस–2–2003–2(39)/2002, दिनांक–28 मई, 2003 एवं शासनादेश संख्या–1858/सैंतीस–2–2003–2(39)/2002, दिनांक–28 मई, 2003 में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पेंशन हेतु अर्ह हों।

दिनांक 01 जनवरी, .2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2–(2)–जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मामले में दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु अथवा सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण इस आदेश मे निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3– (1)–परिलब्धियाँ–

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे शिक्षक/कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3–(2)–''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर आधारित पूर्व वेतनमान के पुनर्स्थापित पे बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे के योग से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3–(3)–सेवानिवृत्ति/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मँहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4– पेंशनः–

पेंशन की गणना पूर्व की भॉति, औसत परिलब्धियों पर किये जाने के साथ–साथ सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के न्यूनतम अथवा पुनर्स्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के

योग जैसी स्थिति हो, के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी, और जो भी अधिक लाभप्रद हो, वह अनुमन्य होगा। तद्नुसार उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/कर्मचारियों की पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

4–(1)–वर्तमान में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है, परन्तु उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है, जो कर्मी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी। यदि अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है, तो सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक दर से पेंशन अनुमन्य होगी।

4–(2) उ0प्र0पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते है तथा पेंशन पाने के पात्र है, उन्हें भी उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

4–(3) उपरोक्त प्रस्तर–4–(1) एवं 4(2) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा उन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियो पर लागू होगी जो इस दिनांक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुये हैं/होंगे, जो शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके उपरान्त इस शासनादेश की तिथि के पूर्व तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे, जो इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व लागू थे।

4–(4) वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार से निर्धारित अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य की जायेगी:–

पेंशन की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में वरिष्ठ पेंशनर्स की जन्म–तिथि होगी।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार–पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे अनुमन्यता की तिथि को पी0पी0ओ0 में अतिरिक्त पेंशन का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा होगी। उपरोक्त वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत मँहगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

5– **ग्रेच्युटी**

उ0प्र0पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के ऐसे शिक्षक जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देते हैं, उन्हें ग्रेच्युटी देय

होगी परन्तु जो शिक्षक 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति के विकल्प का वरण करते हैं, उन्हें ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी।

6—(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी, जो न्यूनतम रू0 3500/— प्रतिमाह तथा अधिकतम रू0 24000/— प्रतिमाह होगी। वर्तमान में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले घटित हो तक सामान्य पेंशन के समतुल्य दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है। दिनांक 01—01—2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।

6—(2) वरिष्ठ पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन भी अनुमन्य होगी:—

पेंशन की आयु	**अतिरिक्त पेंशन की धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर—4(4) के अनुसार की जाएगी।

6—(3) पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा:—

<u>वर्ग—(I)</u>

(क) विधवा/विधुर, आजीवन अथवा पुर्नविवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुर्नविवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

<u>वर्ग—II</u>

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री जो उपरोक्त वर्ग—1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ) ऐसे माता/पिता जो शिक्षक/कर्मचारी पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत शिक्षक/कर्मचारी अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े हो।

आश्रित माता—पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग—II से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक शिक्षक/कर्मचारी के परिवार में ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

7— पेंशन के एक भाग का राशिकरण:—

7—(1)— ऐसे शिक्षक/कर्मचारी, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

7—(2)— ऐसे शिक्षक/कर्मचारी, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को पेंशन का अधिकतम 20 अंश बेचने का अधिकार होगा।

7—(3)— पेंशन राशिकरण की संशोधित तालिका संलग्न है, जो उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें राशिकरण इस ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके उपरान्त कराया गया है। जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की कार्यवाही इस शासनादेश के निर्गत होने से पूर्व सम्पन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा लें। इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि के राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में निर्धारित की गयी दरों के आधार पर किया जायेगा।

8— ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों जिन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है एवं विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी:—

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में/निर्धारित पे बैण्ड में आहरित वेतन तथा ग्रेड पे का योग।

(ख) शेष अवधि के लिए दिनांक 01.01.2006 से पूर्व अवधि में आहरित मूल वेतन/मँहगाई वेतन तथा दिनांक 01.01.2006 को लागू दरों पर मँहगाई भत्ता।

(ग) अपुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन में 40 प्रतिशत के बराबर फिटमेन्ट का प्रकल्पित लाभ।

9— ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है और अब दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा:—

(1)— "परिलब्धियॉ" शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम—9(21)(ए)(1) तथा उस पर मँहगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य मँहगाई राहत (वर्ष 1982=100 के आधार पर) पर आगणित होगी।

(2) पेंशन की गणना परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियॉ, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पर की जायेगी।

(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपर्युक्त 9(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य मँहगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 350000/— (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(4) पेंशन राशिकरण की दरें वही होगी जैसा कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थे।

(5) पारिवारिक पेंशन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थे एवं ऐसी गणना दिनांक 01.01.2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982=100 के आधार पर) निर्धारित मँहगाई राहत, जैसा कि शासनादेश संख्या—सा—3—1746/दस—308/05 दिनांक 02.12.2005 में

बताई गयी है, को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही मँहगाई राहत की गणना की जाएगी।

(6) उपरोक्त सन्दर्भित संशोधनों के फलस्वरूप उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जाएगें तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

(7) इस कार्यालय–ज्ञाप के आधार पर आगणित/अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर AICPI-536 के औसत मूल्य–सूचकांक के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाली मँहगाई राहत अनुमन्य होगी।

10– अवशेष भुगतान की प्रक्रियाः–

दिनांक 01 जनवरी 2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण तक की देय पेशंन अवशेष का 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2014–15 में तथा शेष 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2015–16 में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय सम्पूर्ण अवशेष का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही किया जाय।

किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो के देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एकमुश्त नकद भुगतान कर दिया जाये।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–424(1)/दस–2014, दिनांक–09–04–2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–1302(1)/सैंतीस–2–2013– तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी मथुरा।
6. निदेशक/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. कुलपति/वित्त अधिकारी/रजिस्ट्रार, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनु0–2/वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
10. निदेशक, पेन्शन, इन्दिरा भवन, लखनऊ/गार्ड फाईल।

डाक 28 APR 2014 अनुभाग

आज्ञा से
(अमर सेन सिंह)
उप सचिव।

O/o A.G. A&E II U.P.
Unique No. 3726
Co-ordination Pen
Section Pen (Misc.)

DR 5 fair'd 29/4/14

ANNEXURE

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re. 1 PER ANNUM

Age next birth day	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.190	61	8.194		

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–1117/सैंतीस–2–2014–3(2)/12
लखनऊ :: दिनांक– 21 अप्रैल, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के संबंध में निम्नवत आदेश प्रदान किए गये हैं–

2– इन आदेशों के अंतर्गत –

(क) वर्तमान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है, जो पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1857/सैतीस–2–2003–2(39)/2002, दिनांक–28 मई, 2003 एवं शासनादेश संख्या–1858/सैतीस–2–2003–2(39)/2002, दिनांक–28 मई, 2003 की व्यवस्था से आच्छादित होनें एवं उनकी शर्तो एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति के फलस्वरूप दिनांक–31 दिसम्बर, 2005 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे अथवा पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह थे।

(ख) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31–12–2005 को देय थी, से है।

(ग) वर्तमान महंगाई राहत का तात्पर्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 536 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मिल रही राहत से है।

3– (1) वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकित दिनांक 01–01–2006 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जाएगा–

(1) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन,
(2) महंगाई पेंशन जहां अनुमन्य हो,
(3) वर्तमान महंगाई राहत।

(4) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत, फिटनैस वेटेज के रूप में फिटमेंट वेंटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर की जाएगी अर्थात महंगाई पेंशन पर वेटेज देय न होगा।

इस प्रकार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को दिनांक 01–01–2006 से मूल पेंशन माना जाएगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा धारित पद के दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतनमान के दिनांक 01–01–2006 से प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम वेतन तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहां यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी।

इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा धारित पद के दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतनमान के दिनांक 01–01–2006 से प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम वेतन तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु रू0 3500/– प्रतिमाह

से कम नहीं होगी। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है, उनके मामलों में उक्त न्यूनतम सीमा का सभी लाभ पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का योग रू0–3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

3(2)–क्योंकि उपरोक्तानुसार आगणित पेंशन की धनराशि में पेंशन राशिकरण का अंश भी सम्मिलित है, इसलिए मासिक भुगतान में उक्त अंश को घटा दिया जाएगा।

3(3)–वरिष्ठ पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि की जाएगी–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	**अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में वरिष्ठ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि होगी।

पेंशन भुगतानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10000/– है, उस दशा में उसके सम्मुख रू0 2000/– प्रतिमाह अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी पेंशन एवं अतिरिक्त पेंशन दर्शायी जायेगी। उपरोक्त प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि अवश्य अंकित की जायेगी, जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो।

3(4)– वर्तमान में ऐसे पेंशनर जो दिनांक 31–3–1985 और 31–12–1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत की गई वे उसे पूर्व की भांति प्राप्त करते रहेंगे तथा उसे पेंशन समेकन में शामिल नहीं किया जायेगा।

3(5)– चूंकि उपरोक्त प्रस्तर–3(1) के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन औसत मूल्य सूचकांक 536 के अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत को सम्मिलित कर किया जायेगा, अतः दिनांक 01–01–2006 के उपरान्त उक्त मूल्य सूचकांक के ऊपर मंहगाई के लिए निर्धारित मंहगाई राहत की जो किश्त राजकीय पेंशनर्स को शासनादेशों से स्वीकृत की जा चुकी है/की जायेगी, इन पेंशनर्स को भी तद्नुसार अनुमन्य होगी।

3(6)(1)–शासनादेश के प्रस्तर–3.1 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर के पेंशन धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहां यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक

पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 01–01–2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में रू0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 01–01–2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में रू0 3500/– प्रतिमाह से कम नही होगी। दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा भले ही पेंशन पारिवारिक पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी कोई हो।

3(6)(2)– इस शासनादेश के प्रस्तर –1 व 2 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि वह समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में संबंधित कोषागार को प्रेषित करेगा। कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्नक–2 पर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृता अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी उक्त के आधार पर अभिलेखों को अद्यावधिक कर लेंगे।

3(6)(3)– 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन भुगतान किए जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जाएगी।

3(6)(4)– ऐसे सभी मामलों में जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की सही–सही जन्मतिथि अभिलेखों में अंकित न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो उनमें अतिरिक्त पेंशन उस वर्ष की पहली जनवरी से अनुमन्य होगी जिस वर्ष पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि हो रही हो। पारिवारिक पेंशनर द्वारा आयु संबंधी प्रमाण, सीधे कोषागार कार्यालय में इस आशय के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जाए। उपर्युक्त आवेदन पत्र एवं जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कोषागार कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करते हुए उसकी सूचना जनपद स्थित विभागीय कार्यालय को भी दे दी जाएगी। आवेदन पत्र तथा जन्मतिथि आयु संबंधी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उस जनपद जहां से पेंशन प्राप्त की जा रही हो, में स्थित विभागीय कार्यालय में भी पेंशनर द्वारा सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

4– वरिष्ठ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में वृद्धि उपरोक्त प्रस्त 3(3) के अनुसार अनुमन्य होगी। इन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गई अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

5– पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामले में इन आदेशों के अंतर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु समस्त पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों को एतद्‌द्वारा अधिकृत किया जाता है। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) के दोनों अर्धभागों पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जाएगी।

उपुर्यक्त प्रस्तर–3(1) में निहित प्रक्रिया के आधार पर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01–01–2006 से मूल पेंशन मानी जायेगी और इस पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर इसके उपरान्त स्वीकृत महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

6–<u>अवशेष भुगतान की प्रक्रिया–</u>

दिनांक 01 जनवरी 2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षिण तक की देय पेंशन अवशेष का 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2014–15 में तथा शेष 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2015–16 में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय संपूर्ण अवशेष का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही किया जाए। दिनांक–01 जनवरी, 2006 के बाद के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे है।

7– किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों के देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एकमुश्त नकद भुगतान कर दिए जायें।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–424/दस–2014, दिनांक–09–04–2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: 1, 2 एवं पेंशन पुनरीक्षण हेतु रेडीरेक्नर</u>

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0–1117(1)/सैंतीस–2–2014– तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी मथुरा।
6. निदेशक/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. कुलपति, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8. वित्त अधिकारी/रजिस्ट्रार, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनु0–2/वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
11. निदेशक, पेन्शन, इन्दिरा भवन, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमर सेन सिंह)
उप सचिव।

2 8 APR 2014

SADR 17

O/o A.G. A&E-II
Unique No. 3729

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1117/सैंतीस-2-2014-3(2)/12, दिनांक- 21 अप्रैल, 2014 का संलग्नक-1

प्रारूप

सेवा में,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

....

विषय : शासनादेश के अनुसार दिनांक 01-01-2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट करें। अपेक्षित ब्योरे नीचे दिये हैं:-

1- सरकार कर्मचारी/पेंशनभोगी का नाम ....

2- सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख ....

3- तारीख, जिससे पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो ....

4- पेंशन भुगतानादेश संख्या ....

5- पेंशनभोगी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पद ....

6- पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम ....

7- पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (बचत खाता संख्या, जहाँ लागू हो) ....

8- अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन ....

9- सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के पद के वेतनमान का दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पे-बैण्ड एवं ग्रेड पे ....

10- कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि ....

11- पेंशनर श्री/श्रीमती.. की जन्मतिथि ....है। पारिवारिक पेंशन श्री/श्रीमती/कु0.. .... की जन्मतिथि..................................... है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

पदनाम मुहर सहित।

संलग्नक-2

दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र-

कोषागार का नाम ....

1- पेंशनर का नाम ....

2- कार्यालय का नाम ....

3- पेंशनर की जन्मतिथि ....

4- (1) सेवा प्रारम्भ करने की तिथि ....

(2) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि ....

(3) अर्ह सेवा अवधि .... वर्ष .... माह .... दिन ....

5- (1) 01-01-1996 को अनुमन्य वेतनमान ....

(2) 01-01-2006 को समकक्ष पे बैण्ड एवं ग्रेड पे ....

6- (1) **पेंशन आगणन**

(1) 01-01-2006 को वर्तमान पेंशन रू0..................

(2) वर्तमान पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन रू0..................

(3) वेतन के न्यूनतम पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के आधार पर आगणित पेंशन रू0..................

(4) देय पेंशन जो उपरोक्त में से लाभप्रद हो रू0..................

(5) राशिकृत भाग को कम करते हुए शुद्ध देय पेंशन रू0..................

(2) **पारिवारिक पेंशन**

(1) पारिवारिक पेंशनर का नाम ....

(2) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि ....

(3) 01-01-2006 को वर्तमान पारिवारिक पेंशन रू0..................

(4) वर्तमान पारिवारिक पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन* रू0..................

(5) वेतन के न्यूनतम व ग्रेड पे के आधार पर आगणित पारिवारिक पेंशन* रू0..................

(6) बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन रू0..................

(7) साधारण दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन रू0..................

* (क्रमांक-4 एवं 5 में से जो लाभप्रद हो)

(3) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(1) 80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम

आयु-मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20% रू0..................

(2) 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम

आयु-मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30% रू0..................

(3) 95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम

आयु-मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50% रू0..................

(4) 100 वर्ष अथवा अधिक आयु-मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100% रू0..................

लेखाकार **स0 कोषाधिकारी** **कोषाधिकारी**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पेंशन स्वीकृत अधिकारी ....

2- पेंशन श्री/श्रीमती ....